कार्यालय जनपद पंचायत कुरवाई, जिला विदिशा (म0प्र0)

दूरभाष क्रमांक 07593-247242 E-mail: jpkurvid-mp@nic.in

क्रमांक / एनजीटी / 2021 /3446 कुरवाई दिनांक 02-09-2021

प्रति,

मा. नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल
सेन्ट्रल जोन ब्रान्च
भोपाल

विषय :— एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक / 29 / 2021 श्री सियाराम यादव विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य।

संदर्भः— कार्यालय जिला पंचायत विदिशा म.प्र. का पत्र क्र. / 11171 / निर्माण / गौशाला / 2021 विदिशा दिनांक 31.08.2021।

—00—

विषयानुसार निवेदन है कि संदर्भित पत्र के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुरवाई को विषयांतर्गत प्रकरण में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके परिपालन में प्रतिवेदन महोदय के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

संलग्न—

1. संदर्भित पत्र क्र.—01।
2. कार्यालय जिला पंचायत विदिशा का पत्र क्र.—11169 / निर्माण / गौशाला / 2021 विदिशा दिनांक 31.08.2021।
3. कार्यालय जिला पंचायत विदिशा का पत्र क्र.—10584 / निर्माण / 2021 विदिशा दिनांक 17.08.2021।
4. कार्यालय जिला पंचायत विदिशा का पत्र क्र.—11196 / निर्माण / 2021 विदिशा दिनांक 31.08.2021।
5. कार्यालय जनपद पंचायत कुरवाई का पत्र क्र.—3323 / निर्माण / 2021 कुरवाई दिनांक 25.08.2021।
6. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग कुरवाई जिला विदिशा का पत्र क्र. / स्टेनो / 2021 / 1265 कुरवाई दिनांक 23.08.2021।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत कुरवाई
कुरवाई दिनांक /02-09-2021

पृ.क्रमांक / मनरेगा / 2021 / 3446
प्रतिलिपिः—

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

To Mahendra Srivastav
Filing section for necessary action
03/9/21

NGT, CZB, BHOPAL
Receipt No. : -592
Date : -03-09-2021

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत कुरवाई

E:\i drive\office later @/मे

कार्यालय जिला पंचायत विदिशा म.प्र.

क्रमांक /11171/ निर्माण–गौशाला / 2021 विदिशा दिनांक 31/08/2021

(समय–सीमा)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत कुरवाई

विषय :– एनजीटी प्रकरण क्रमांक / 29 / 2021 श्री सियाराम यादव विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य ।

संदर्भ :– 1. आयुक्त म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल का पत्र क02079 / विधि / मनरेगा / 2021 भोपाल दिनांक 02.08.2021 ।

2. कार्यालयीन पत्र क्र. / निर्माण / मनरेगा / 2020 / 15163 विदिशा दि0 07.11.2020 एवं पत्र क्र. / 872 विदिशा दिनांक 25.01.2021 एवं क्र. / 10584 / निर्माण / 2021 विदिशा दि. 17.08.2021 ।

3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 11169 / निर्माण–गौशाला / 2021 दिनांक 31 / 08 / 2021 ।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के द्वारा एनजीटी बैंच भोपाल द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करे। केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जुलाई 2020 में Envirnment Management of Dairy Farm and Gaushalas के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के विपरीत खसरा क्रमांक 83 एवं 84 ग्राम सडेरा तहसील कुरवाई जिला विदिशा में गौशाला का निर्माण आवादी क्षेत्र के नजदीक किये जाने से गांव के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं संदर्भित पत्र क्रमांक 03 के द्वारा ग्राम सडेरा ग्राम पंचायत रोशनपिपरिया जनपद पंचायत कुरवाई में स्वीकृत गौशाला को निरस्त किया गया है ।

उक्त के संबंध में मा0 एनजीटी द्वारा पारित निर्णय में प्रतिवादी को 06 सप्ताह के अंदर जबावदावा प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कलेक्टर विदिशा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त रिपोर्ट 06 सप्ताह के अंदर चाही गई है । प्रकरण में आगामी तिथि 03 सितम्बर 2021 नियत है ।

अतः मा. एन.जीटी द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संदर्भित पत्र क्रमांक 03 के द्वारा कार्यवाही की गई है । नियत तिथि पर उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत विदिशा

पृ क्रमांक /11172/ निर्माण / 2021 / एफ– विदिशा दिनांक 31/08/2021

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कलेक्टर जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कुरवाई की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. उपसंचालक पशुचिकित्सा विभाग जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. सहायक यंत्री जनपद पंचायत कुरवाई जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत विदिशा

कार्यालय जिला पंचायत विदिशा म.प्र.

क्रमांक /11169/ निर्माण–गौशाला / 2021 विदिशा दिनांक 31/08/2021

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत कुरवाई

विषय :- ग्राम सडेरा, ग्राम पंचायत रोशन पिपरिया जनपद पंचायत कुरवाई की गौशाला निरस्त करने के संबंध में ।

संदर्भ :- 1. आयुक्त म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल का पत्र क02079 / विधि / मनरेगा / 2021 भोपाल दिनांक 02.08.2021 ।

2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कुरवाई का पत्र कमांक / स्टेनो / 1265 कुरवाई दिनांक 23.08.2021 ।

3. कार्यालयीन पत्र कमांक / 10584 / निर्माण / 2021 विदिशा दिनांक 17.08.2021 ।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र कमांक 02 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कुरवाई के द्वारा ग्राम सडेरा ग्राम पंचायत रोशनपिपरिया जनपद पंचायत कुरवाई में स्वीकृत गौशाला को नदी के डूब क्षेत्र के निकट एवं प्राथमिक शाला भवन भी समीप होने के कारण निरस्त करने की अनुशंसा की गई है ।

अतः अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कुरवाई के अनुक्रम में ग्राम सडेरा ग्राम *पंचायत रोशनपिपरिया जनपद पंचायत कुरवाई में स्वीकृत उक्त गौशाला के निरस्त किया जाता है ।*

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत विदिशा

पृ कमांक /11170/ निर्माण / 2021 / एफ– विदिशा दिनांक 31/08/2021

प्रतिलिपि :-

1. *कलेक्टर जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।*
2. *अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कुरवाई (अध्यक्ष जनपद स्तरीय गौशाला समिति) की ओर* सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. उपसंचालक पशुचिकित्सा विभाग जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. सहायक यंत्री जनपद पंचायत कुरवाई जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. प्रधान ग्राम पंचायत रोशनपिपरिया जनपद पंचायत कुरवाई की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत विदिशा

कार्यालय जिला पंचायत विदिशा म.प्र.

क्रमांक / 10584 / निर्माण / 2021 विदिशा दिनांक 17/08/2021

(समय–सीमा)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत कुरवाई

विषय :– एनजीटी प्रकरण क्रमांक / 29 / 2021श्री सियाराम यादव विरूद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य ।

संदर्भ :– 1. आयुक्त म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल का पत्र क02079 / विधि / मनरेगा / 2021 भोपाल दिनांक 02.08.2021 ।

2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / निर्माण / मनरेगा / 2020 / 15163 विदिशा दि0 07.11.2020 एवं पत्र क्रमांक / 872 विदिशा दिनांक 25.01.2021 ।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा एनजीटी बैंच भोपाल द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करे । केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जुलाई 2020 में Envirnment Management of Dairy Farm and Gaushalas के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के विपरीत खसरा क्रमांक 83 एवं 84 ग्राम सद्रेरा तहसील कुरवाई जिला विदिशा में गौशाला का निर्माण आवादी क्षेत्र के नजदीक किये जाने से गांव के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड सकता है । पत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

अतः उक्त के संबंध में मा0 एनजीटी द्वारा पारित निर्णय में प्रतिवादी को 06 सप्ताह के अंदर जबावदावा प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कलेक्टर विदिशा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त रिर्पोट 06 सप्ताह के अंदर चाही गई है । प्रकरण में आगामी तिथि 03 सितम्बर 2021 नियत है ।

मा. एन.जीटी द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्य क्षेत्र बैंच भोपाल को नियत तिथि के पूर्व अवगत कराते हुये प्रतिवेदन जिला पंचायत विदिशा को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत विदिशा

पृ क्रमांक / 10585 / निर्माण / 2021 / एफ– विदिशा दिनांक 17/08/2021

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कुरवाई की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उपसंचालक पशुचिकित्सा विभाग जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. सहायक यंत्री जनपद पंचायत कुरवाई जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत विदिशा

कार्यालय जिला पंचायत विदिशा म.प्र.

क्रमांक / 11196 / निर्माण–गौशाला / 2021 विदिशा दिनांक 31 / 08 / 2021

प्रति,

आयुक्त
म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल म0प्र0

विषय :- एनजीटी प्रकरण क्रमांक / 29 / 2021 श्री सियाराम यादव विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य।

संदर्भ :- 1. आपका पत्र क0 / 2079 / विधि / मनरेगा / 2021 भोपाल दिनांक 02.08.2021 ।
2. कार्यालयीन पत्र क. / 11169 / निर्माण–गौशाला / 2021 दिनांक 31 / 08 / 2021 । एवं पत्र क्रमांक / 11171 दिनांक 31.08.2021

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के द्वारा एनजीटी बैंच भोपाल द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करे। केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जुलाई 2020 में Envirnment Management of Dairy Farm and Gaushalas के संबध मे जारी दिशा निर्देशों के विपरीत खसरा क्रमांक 83 एवं 84 ग्राम सदेरा तहसील कुरवाई जिला विदिशा में गौशाला का निर्माण आबादी क्षेत्र के नजदीक किये जाने से गांव के निवासियों को परेशानी का सामना करना पडता है के संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया था ।

संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के द्वारा ग्राम सडेरा ग्राम पंचायत रोशनपिपरिया जनपद पंचायत कुरवाई में स्वीकृत गौशाला को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कुरवाई (अनुविभागीय गौशाला परियोजना कियान्वयन समिति) के प्रस्ताव अनुसार निरस्त किया गया है प्रतिवेदन सादर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

संलग्न–संदर्भित पत्र

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत विदिशा

पृ क्रमांक / 11197 / निर्माण / 2021 विदिशा दिनांक 31 / 08 / 2021

प्रतिलिपि

1. कलेक्टर जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कुरवाई की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. उपसंचालक पशुचिकित्सा विभाग जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. सहायक यंत्री जनपद पंचायत कुरवाई जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत विदिशा

कार्यालय जनपद पंचायत कुरवाई जिला विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक/3322/निर्माण/2021, कुरवाई, दिनांक 25.08.2021

प्रति,

गुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत विदिशा

विषय :- ग्राम सड़ेरा में स्वीकृत गौशाला के संबंध में एनजीटी प्रकरण क्रमांक/29/2020-21 श्री सियाराम यादव विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य।

संदर्भः- 1. कार्यालय जिला पंचायत विदिशा का पत्र क्र./10584/निर्माण/2020-21 विदिशा दिनांक 17.08.2021।

2. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई का पत्र क्र./1265 कुरवाई दिनांक 23.08.2021।

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्रों के संबंध में निवेदन है कि एनजीटी प्रकरण क्रमांक/29/2020-21 श्री सियाराम यादव का प्रकरण संज्ञान में आने के उपरांत प्रकरण के आदेश बिन्दु क्रमांक 1 के उपबिन्दु III के अंतर्गत डूब क्षेत्र के निकट होने एवं उपबिन्दु क्रमांक IV प्राथमिक शाला भवन के समीप होने के कारण गौशाला ग्राम सड़ेरा में गौशाला की चयनित भूमि जिसका खसरा क्रमांक 75/2, 77/2/1 पर गौशाला निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।

कार्यालय जिला पंचायत के पत्र क्रमांक/10584/निर्माण/2021 दिनांक 17.08.2021 के परिपालन में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अध्यक्ष खण्ड स्तरीय गौशाला समिति कुरवाई द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा को संबोधित पत्र द्वारा स्वीकृत गौशाला ग्राम सड़ेरा को निरस्त करने हेतु कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई का पत्र क्र. /स्टेनो/2021/1265 कुरवाई दिनांक 23.08.2021 द्वारा प्रेषित किया गया। जिससे कि माननीय एन0जी0टी0 की गाइड लाइन का पालन किया जा सके।

संलग्न- पत्र।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत कुरवाई
कुरवाई दिनांक 25.08.2021

पृ.क्रमांक/निर्माण/2021 3324
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर महोदय, जिला विदिशा की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत कुरवाई

drive\office later @/ग

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग कुरवाई, जिला विदिशा (म0प्र0,
क्रमांक / स्टेनो / 2021 / 1265 कुरवाई दिनांक 23-8-21

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी महो.
जिला पंचायत विदिशा।

विषय :- ग्राम पंचायत रोशनपिपरिया के ग्राम राड़ेरा में गौशाला निरस्त करने के संबंध में।
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / 10584 / निर्माण / 2021 विदिशा दिनांक 17.08.2021

-00-

विषयांतर्गत निवेदन है कि ग्राम राडेरा ग्राम पंचायत रोशनपिपरिया गौशाला हेतु खसरा नंबर 75 / 2, 77 / 2 / 1 चयन किया गया था। जो कि नदी के डूब क्षेत्र के निकट है एवं प्राथमिक शाला भवन भी समीप है। अभी तक उक्त गौशाला का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

उक्त स्वीकृत गौशाला को निरस्त करने का कष्ट करें, ताकि मा. एन.जी.टी. की गाइड लाइन का पालन किया जा सके।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग कुरवाई
कुरवाई दिनांक 23-8-21

पृ.क्रमांक / स्टेनो / 2021 / 1266
प्रतिलिपि:-

कलेक्टर महोदय जिला विदिशा की ओर सादर सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग कुरवाई

जिला प्रभा...